पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / विविध–15 / 2010(खण्ड–II) सो0–440

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

**आमिर सुबहानी**
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

सेवा में,

**सभी प्रमंडलीय आयुक्त**
**सभी जिला पदाधिकारी**
**बिहार।**

पटना, दिनांक–05 मई, 2016

**विषयः–** **कार्यपालक सहायक की पैनल अवधि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विगत कुछ अवधि से जिलो द्वारा कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता अवधि के संबंध में निरंतर मार्ग दर्शन की मांग की जा रही है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा 'लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम' तथा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक के पैनल की अवधि 01 (एक) वर्ष निर्धारित है।

इस संबंध में मिशन कार्यालय के पत्रांक–169, दिनांक–25.02.2015 के द्वारा नवादा जिला को उपलब्ध कराये गये मार्ग दर्शन की छायाप्रति सदृश कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

समीक्षोपरांत पाया गया है कि कतिपय जिलों में कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लेकर कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता अवधि बढ़ाते हुए एक वर्ष के उपरांत भी पैनल से नियोजन की कार्रवाई की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोंपरांत इस प्रकार के जिलों में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु यह अनुमोदन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–सू.ज.स.वि. 13689 (नि.नि.) 14–15 के आलोक में तैयार किए जा रहे कार्यपालक सहायक के पैनल के पूर्व के पैनल पर ही प्रभावी होगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–सू.ज.स.वि. 13689 (नि.नि.) 14–15 के आलोक में तैयार किए जा रहे कार्यपालक सहायक के पैनल तथा इसके उपरांत प्रकाशित होने वाले कार्यपालक सहायक के सभी पैनल की वैधता अवधि तीन वर्ष होगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में कार्यपालक सहायक के पैनल गठन एवं नियोजन की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

**अनु0–यथोक्त।**

**(आमिर सुबहानी)** 5/5/16
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

BPSM, E:\Sanjay\md sir letter.docx

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / विविध–15 / 2010(खण्ड–II) सो0–169

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आदेश ति0 (भा.प्र.से.),
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नवादा।

पटना, दिनांक–25 फरवरी 2015

विषयः– कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु मार्ग निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– समाहरणालय नवादा का पत्रांक–339, दिनांक–04.08.2014

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के द्वारा निम्न दो बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग की गयी थीः–

1. मेधा सूची (पैनल) का निर्माण 20.06.13 तक Online प्राप्त आवेदनों के आलोक में जुलाई 2014 में किया गया। ऐसी स्थिति में इस मेधा सूची (पैनल की वैधता क्या होगी ? वित्तीय वर्ष, कैलेन्डर वर्ष अथवा अंतिम मेधा सूची (पैनल) प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष।
2. वर्त्तमान में तैयार कोटिवार मेधा सूची से अन्य विभागों में कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति एवं पदस्थापन किस आरक्षण बिन्दु के अन्तर्गत की जायेगी तथा आरक्षण बिन्दु से संबंधित रोस्टर का निर्माण किस स्तर से किया जायेगा, याचित विभागों द्वारा अलग–अलग सृजित रोस्टर के अनुसार अथवा विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से निर्मित रोस्टर के आधार पर।

निदेशानुसार उपरोक्त के संबंध में निम्न मार्ग दर्शन दिया जाता है।

1. मेधा सूची प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। चूंकि नवादा जिला में अभी तक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है अतः पूर्व में प्राप्त आवेदन के आधार पर मेधा सुची का प्रकाशन किया जाए तथा यह मेधा सूची प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

2. जिला पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से निर्मित्त रोस्टर के आधार पर ही अन्य विभागों में कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति / पदस्थापन किया जाएगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई करते हुये यथाशीघ्र कार्यपालक सहायक का नियोजन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

25.02.15

(आदेश ति0)
अपर मिशन निदेशक

E/SK/AMD